उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 5669 /77–4–2023
लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2023

मैसर्स सीकॉम इन्फ्राकॉम प्रा0लि0 पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण **विपक्षीगण**

प्रश्नगत प्रकरण उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 07.08.2023 द्वारा निस्तारित किया गया है।

2– चूँकि यह प्रकरण ग्रेटर नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के अन्तर्गत है और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के संबंध में सी0ए0जी0 की गम्भीर आपत्तियां हैं। उक्त के अतिरिक्त नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी की 04 परियोजना एवं ग्रेटर नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी की 02 एवं रिक्रिएशनल इण्टरटेनमेंट पार्क की 02 परियोजनाएँ हैं। उक्त परियोजनाओं पर सी0ए0जी0 की आपत्तियों के दृष्टिगत तथा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में समुचित परीक्षण के उपरान्त निर्णय लिया जाना है। चूँकि स्पोर्ट्स सिटी व रिक्रिएशनल इण्टरटेनमेंट पार्क सम्बन्धी प्रकरणों में निर्णय के लिए अनुसरण (Follow) किए जाने वाले सिद्धान्त एक समान रहने चाहिए ताकि विरोधाभाषी निर्णय न हो सके। यद्यपि आदेश दिनांक 07.08.2023 में इस तथ्य का उल्लेख है कि यह स्पोर्ट्स सिटी से सम्बन्धित है, परन्तु उपरोक्त तथ्य पर न तो प्राधिकरण द्वारा बल दिया गया और न ही पुनरीक्षण याचिका में आदेश पारित करते समय इस दृष्टि से इसका विश्लेषण किया गया।

3– अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स सीकॉम इन्फ्राकॉम प्रा0लि0 द्वारा उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

4– नोएडा/ग्रेटर नोएडा को निर्देशित किया जाता है कि यदि स्पोर्ट्स सिटी तथा रिक्रिएशनल इन्टरटेनमेंट पार्क से सम्बन्धित किसी प्रकरण में उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत शासन में प्रस्तुत की जाती है तो सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा इस तथ्य को प्रमुखता से उल्लिखित करते हुए प्रकरण को उपर्युक्तानुसार निरस्त करने की संस्तुति की जाए, जब तक कि इन प्रकरणों में सम्यक् विचारोपरान्त समुचित निर्णय न ले लिया जाए।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्याः—5669 (1)/77—4—2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को इस आशय से कि यदि स्पोर्ट्स सिटी तथा रिक्रिएशनल इन्टरटेनमेंट पार्क से सम्बन्धित किसी प्रकरण में उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा—12 के अन्तर्गत शासन में प्रस्तुत की जाती है तो इस तथ्य को प्रमुखता से उल्लिखित करते हुए प्रकरण को उपर्युक्तानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जाए, जब तक कि इन प्रकरणों में सम्यक् विचारोपरान्त समुचित निर्णय न ले लिया जाए।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. अधिकृत हस्ताक्षरी, मैसर्स सीकॉम इन्फ्राकॉम प्रा0लि0, ए—10, बी—1, मोहन को—ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल इस्टेट, बदरपुर, नई दिल्ली—110044
5. औद्योगिक विकास अनुभाग—3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Manoj 17.9.23

(मनोज कुमार सिंह)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।